

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 01/19... राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री... श्री... पुत्र ...

पटवारी हल्का

जाति... निवासी...
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

रपलीने की ब्यापरी

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु.। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का... ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम... के खसरा नम्बर 145... रकवा .. बीघा में से 1-02... बीघा किस्म... राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50... अक्षरे 4... रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 10-4-19... को सरेआम सुनाया गया।

500
तहसीलदार गडरारोड़
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50... फसल नि.
कुल योग 50/-... जि.के पृष्ठ सं. 25
वर्ष 1919-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसीलदार गडरारोड़